

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 आगरा

प्रवेश सूचना 2021-2022

शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 01-04-2021 सुबह 10 बजे से दिनांक 19-04-2021 साँय 7 बजे तक किया जा सकेगा। प्रवेश संबन्धित विवरण वैबसाइट और Android मोबाइल ऐप दोनों के माध्यम से <https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/> से प्राप्त किया जा सकता है।

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ऑनलाइन प्रवेश हेतु आधिकारिक Android मोबाइल ऐप <https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/apps/> पर उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने और इन्स्टाल करने के लिए निर्देश उपरोक्त URL पर उपलब्ध हैं। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे पोर्टल और ऐप का उपयोग करने से पहले निर्देशों का सावधानी से पालन करें।

कक्षा 3 एवं 4 हेतु (अन्य किसी कक्षा में स्थान रिक्त नहीं हैं)

कक्षा 3 एवं 4 में प्रवेश हेतु पंजीकरण दिनांक 08-04-2021 से दिनांक 15-04-2021 तक (ऑफलाइन मोड) द्वारा किया जा सकेगा। कक्षा 3 एवं 4 के लिए आवेदन प्रपत्र संगठन की वैबसाइट पर <https://kvsangathan.nic.in/common-document> डाउनलोड हेतु उपलब्ध है जिसे भरकर एवं स्कैन करके विद्यालय की प्रवेश हेतु ईमेल : kv2agra.kvsangathan@gmail.com पर भेजना होगा। (किसी अन्य Email पर भेजा गया आवेदन मान्य नहीं होगा) कक्षा 3 एवं 4 में प्रवेश हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

1. जन्म प्रमाणपत्र
2. निर्धारित प्रारूप में सेवा प्रमाण पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(किसी प्रमाण पत्र पर प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा न होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, सेवा प्रमाण पत्र जारी करने वाली अधिकारी का नाम, कार्यालय का पता एवं दूरभाष स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए)

सामान्य-निर्देश

सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31-03-2021 से होगी। कक्षाओं में सीटों का आरक्षण के.वि.सं. के प्रवेश दिशा निर्देशों (<https://kvsangathan.nic.in>) के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभिभावक विद्यालय/ मुख्यालय की वैबसाइट देखें।

वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी (केन्द्र/राज्य/स्थानीय) द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों की अनुपालना में अभिभावकों से अनुरोध है कि वे विद्यालय में जाकर भीड़ एकत्रित न करें। प्रवेश संबन्धित सभी सूचनाओं की जानकारी, पंजीकरण प्रपत्र भरने के लिए विद्यालय/मुख्यालय की वैबसाइट निरंतर देखें। प्राचार्य द्वारा बुलाये जाने पर निर्धारित समय अंतराल में ही प्रवेश प्रभारी/ प्राचार्य से संपर्क करें।

Documents to be submitted along with Application Form

Certificate of proof of age in the form of a birth certificate issued by the authority competent to register births. This will include certificates from Notified Area Council / Municipality / Municipal Corporation extract about the date of birth from records of Village Panchayat, Military Hospital and service records of Defence personnel. For other classes, the date of birth recorded in the transfer certificate issued by a school recognized by the State Education Department would be accepted. The original certificate of date of birth should be returned to the parent after verification.

- For grandchildren of Hon'ble Member of Parliament and PSU employees a proof of relationship of either of the child's parents with the Hon'ble Member of Parliament or PSU employees would be needed.
- For grandchildren of KVS employee a proof of relationship of either of the child's parent with the KVS employee (serving or retired) would be required.
- A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/EWS/OBC (Non-Creamy Layer)/BPL wherever applicable, issued by the Competent Authority in concerned State Government/Union Government.
- A certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India O. M. No. 36035/5/88 / Estt. (sct) dated 4.5.1999 certifying the child is handicapped, wherever applicable
- A service certificate showing the number of transfers during the preceding 7 years duly signed and stamped by the head of office bearing the name, designation and other relevant particulars in block letters.
- A certificate of retirement for uniformed Defence employees.
- Proof of Residence.

Note:

- (i) Mere registration will not confer a right to admission.
- (ii) Incomplete application forms shall normally be rejected. In case vacancies remain, Principal may allow completion of the form later at his/her discretion.
- (iii) Admission secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled by the Principal forthwith and no appeal against such action of the Principal shall be entertained.
- (iv) For admission to class I, the registrations will be done through online mode. In a double shift Kendriya Vidyalaya, each shift will be treated as separate Vidyalaya for admission purpose. No change of shift will be permitted. If multiple registration forms are submitted for the same child in the same Kendriya Vidyalaya, only the last application will be considered.
- (v) In respect of Category I, II, III and IV admissions the veracity of the Certificates submitted by the parents in proof of their service must be invariably verified by the Principal.